तीजा बनाम केलाश गर्ग व अन्य

अपील एल आर/1093/2020

तारीख हुक्म	2020/1093 हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अधि. अपीलार्थीया :- श्री [illegible]/सुनील प्रजापत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13-9-2021 तीजा तीजा Identified on me [illegible] (सुनील प्रजापत) [illegible] 13-09-2021 Noted Respondent Adv. [signature] 13-9-2021 [illegible]	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रत्यर्थी सं0 4 के अभिभाषक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाबत निगरानी मीमो डिफेक्टिव होने एवं अप्रार्थी संख्या 05 की वर्ष 2012 से तलबी नही करने के जवाब/बहस मे नियत थी। अपीलार्थीया मय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थीया अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दो प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.08.2021 (1)वास्ते पत्रावली तलब करन आवश्यक सुनवाई करने एवं (2) पत्रावली तलब कर प्रकरण को विड्रो करने बाबत पेश हुये थे जो शामिल मिसल है। अपीलार्थी अभिभषक को अपील विड्रो के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थीया अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो किये जाने बाबत् बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया ने प्रश्नगत आराजी मे अपना हिस्सा पारिवारिक समझौते के तहत पूर्व में ही समाप्त कर लिया था। अपीलार्थीया का प्रश्नगत आराजी में कोई हक, हिस्सा, अधिकार नहीं होने से अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है। अपीलार्थीया की उक्त अपील पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर ने सहवन से प्रस्तुत कर दी थी। अपीलार्थीया को उक्त अपील की जानकारी होने पर उसने पॉवर ऑफ अर्टोनी को निरस्त कर उसकी सूचना जरिये समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी थी। अपीलार्थीया उक्त अपील का आगे नहीं चलाना चाहती है। इस कारण उक्त पत्रावली को तलब कर अपील को अपीलांट विड्रो के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे। अतः अपीलार्थीया द्वारा जब स्वयं ही प्रश्नगत आराजी मे अपना हिस्सा पारिवारिक समझौते के तहत पूर्व में ही समाप्त कर लिया था तो अपीलार्थीया का कोई हक हिस्सा नहीं होने से अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है जिससे न्यायहित में विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थीया अभिभाषक का अपील विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थीया द्वारा विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] (डॉ. बीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner